

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)  
शृंखला न्यायालय-बैहर  
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

C.R.A./08/2017  
Filling No. C.R.A./264/2017  
CNR MP 500500004762017  
संस्थित दिनांक - 23.11.2015

भंवरसिंह वल्द हरेसिंह गोंड उम्र 60 वर्ष  
निवासी-ग्राम हीरापुर थाना गढ़ी तहसील बैहर  
जिला बालाघाट {म.प्र.}

अपीलार्थी

// / विरुद्ध // /

- 1- म0प्र0 शासन द्वारा :- कलेक्टर बालाघाट  
2- म0प्र0 राज्य द्वारा:-वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट  
कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला जिला बालाघाट - - - उत्तरवादीगण

=====

{न्यायालय:-श्री सिराज अली, तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैहर द्वारा  
आप.प्रक.क्र.-1238/2004 में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2015 से परिवेदित  
होकर धारा 374 द.प्र.सं. के अंतर्गत यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

=====

श्री विजय गुप्ता अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।  
श्री डी.पी. बिसेन अधिकृत लोक अभियोजक वास्ते उत्तरवादी/राज्य।

=====

- / / / निर्णय / / / -  
(आज दिनांक 04 मई 2017 को घोषित)

1. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा यह अपील धारा 374 द.प्र.सं. के, श्री सिराज अली, तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1238/2004 शासन बनाम भंवर सिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2015 में अपीलार्थी भंवरसिंह को वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 सहपठित धारा 51 में 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं 2,000/-रु. के अर्थदण्ड से परिवेदित होकर पेश की गई है।
2. परिवादी वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला द्वारा पेश परिवाद पत्र का सार यह है कि परिवादी परिवाद पत्र पेश करने हेतु अधिकृत है। दिनांक 17.09.2002 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हीरापुर तथा वनग्राम करला के कुछ लोग ज़हर डालकर वन्य प्राणी चीतल

का शिकार किए हैं, काटपीटकर मांस रखा है, स्टाफ सहित घटनास्थल पहुंचकर हीरापुर निवासी भंवरसिंह के रहवासी मकान पर गए, भंवरसिंह से पूछताछ की, उसकने बताया कि दिनांक 15.09.2002 को शनिवार के दिन ग्राम करला का चैतराम आया था उसने कहा कि उसके पास जहर है, जंगली जानवर को मारेगें। चैतराम ने महुआ के लहान में जहर मिलाया, उसे बाड़ी के पास फेंक दिया। दिनांक 19.09.2002 को चेक किया तो वहाँ एक चीतल मरा हुआ था। दामाद जीतन और गांव के परसू, रतन, धरम, दशरथ और कदला निवासी चैतराम ने मिलकर उसके घर उठाकर लाए।

3. उक्त सभी ने काट पीटकर मांस का बटवारा किए, चमड़ा अपने घर में रखा है। आरोपी ने मांस, चमड़ा, कुल्हाड़ी निकालकर दिया, पूछने पर बताया कि मांस और चमड़ा चीतल का है जिसे बीट प्रभारी कदला पंचा के समक्ष जप्त किया और पी.ओ.आर. क्रमांक 26/2004 दिनांक 17.09.2002 जारी कर विवेचना कर परिवाद पत्र पेश किया।

4. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने रमेश कुमार अ.सा.1, धीरज, अ.सा.2, नेहरुसिंह अ.सा. 5, हरेसिंह अ.सा.6, डॉ. संदीप अग्रवाल, अ.सा. 7, नैनसिंह अ.सा. 8 के कथन परिवादी ने न्यायालय के समक्ष कराया है। हरेसिंह अ.सा. 6 को छोड़कर सभी साक्षी वन विभाग के हैं। परिवादी ने स्वतंत्र साक्षियों के कथन नहीं कराए हैं, मांस मात्रा बहुत कम है, 2 कुल्हाड़ी की जप्ती है, कान्हा के सभी के घर में रहती है, साक्षियों के कथन का सही मूल्यांकन नहीं किया है। साक्षीगण के कथन का सही निष्कर्ष नहीं निकाला है। निर्णय एवं दण्डाज्ञा में त्रुटि की है। विधिक सिद्धांतों के विपरीत है। अभियुक्त को संदेह का लाभ नहीं दिया गया है। अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने की याचना की है।

5. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दा.प्र. क्र. 1238/2004, शासन विरुद्ध भंवरसिंह वगैरह निर्णय दिनांक 30.10.2015 में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य है ?

**विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-**

6. रमेश कुमार हरदाहा (अ.सा.1) मौके का साक्षी नहीं है। इस साक्षी ने केवल परिवाद पत्र पेश किया है।
7. धीरज पट्टावी (अ.सा.2) ने अपने मुख्य कथन के पद क्रमांक 1 में साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.09.2002 को वह परिक्षेत्र सहायक अडवार एवं भैंसानघाट के स्टाफ के साथ ग्राम कदला हीरापुर गया था। जहाँ आरोपी भोलू सिंह के घर गए थे, पूछताछ करने पर उसने जहर डालकर चीतल को मारना बताया था। आरोपी भंवर ने चैतराम से जहर लाना और महुआ लाहन में जहर मिलाकर जानवर मारने के उद्देश्य से खेत में फैलाना बताया था जिससे चीतल मर गया था। पद क्रमांक 2 में साक्ष्य दी है कि दिनांक 16.09.2002 को चीतल मरा था, आरोपी भंवर ने यह बताया था कि जीतन, धरम, प्रभु, रतन, दशरथ, चैतराम सभी मिलकर चीतल को उठाकर घर लाए थे, काट पीटकर मांस का बंटवारा किया था, सभी ने मांस खाया था।
8. इसी साक्षी ने पद क्रमांक 2 में साक्ष्य दी है कि आरोपी भंवर ने साक्षी के समक्ष थोड़ा सा मांस एक चमड़ा, 2 कुल्हाड़ी जप्त कर जप्ती पत्र बनाया था जो प्र.पी. 2 है जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। आरोपी का बयान प्र.पी. 3 का लिया था जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। कार्यवाही किए जाने का पंचनामा प्र.पी. 8 बनाया था जिस पर अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में स्वीकार किया है कि पंचनामा में हस्ताक्षर करने वाले सभी लोग विभाग के हैं। यह भी स्वीकार किया है कि जप्तीपत्र में विभाग के कर्मचारी के हस्ताक्षर लिए गए हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 7 में कथन किया है कि आज वह यह नहीं बता सकता कि कौन सा जहर डालने से चीतल मरा था, चीतल नर था या मादा था, जानकारी नहीं है। पद क्रमांक 8 में स्वीकार किया है कि जब वे चीतल का मांस, चमड़ा जप्त करते हैं तो गांव के सरपंच, मुकद्दम को बुलाना आवश्यक नहीं समझते। भौरू की घर तलाशी के समय गांव के अन्य लोगों को नहीं बुलाया था। यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा कोई सर्च वारंट प्राप्त किए बिना आरोपी भंवर के घर गए थे और सीधे घुस गये थे। यह स्वीकार किया है कि उन्होंने स्वयं की तलाशी अन्य गांव वालों को नहीं दी थी, स्वयं की तलाशी

पंचनामा नहीं बनाया था। तलाशी पंचनामा न बनाने का कारण नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि साक्षी के समक्ष जप्त किए जाने के स्थान का नक्शा नहीं बनाया है।

9. धन्नूलाल (अ.सा.3) ने साक्ष्य दी है कि वह आरोपीगण को जानता है। तीन साल पूर्व ग्राम कदला हीरापुर की बात है उस समय वन विभाग रेंज आफिस में काम करता था। दोपहर की बात है। आर.के. हरदाहा साहब ने कदला चलने की बात की, वहाँ जाकर देखा आरोपी भंवर सिंह के पास से 100 ग्राम मटन, चीतल का चमड़ा मिला था, कुल्हाड़ी मिली थी। मौके पर साहब लोगों ने लिखापट्टी की थी। पंचनामा प्र.पी. 8 है जिसके ब से ब भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। साक्षी के समक्ष आरोपी भंवर को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 9 है जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। वन विभाग वालों ने कोई बयान नहीं लिया था। बयान प्र.पी. 10 के अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है।

10. इसी साक्षी ने कथन किया है कि वन विभाग वालों ने साक्षी के समक्ष भंवर से पूछताछ की थी। भंवर सिंह ने स्वीकार किया था कि उसने अपनेखेत में चीतल मारा था, 5-6 लोगों ने मिलकर चीतल मारना बताया था, मांस खाए है बताया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में स्वीकार किया है कि वह घटना के समय वन विभाग में कार्यरत था। यह स्वीकार किया है कि भंवर सिंह पूर्व में साक्षी के साथ विभाग में काम करता था। यह स्वीकार किया है कि कटा मांस लेकर वह यह नहीं पहचान सकता कि मांस किस मवेशी या जानवर का है। यह स्वीकार किया है कि भंवर सिंह के घर से जो मांस जप्त होना बताया है वह बकरे का हो सकता है। पद क्रमांक 4 में स्वीकार किया है कि गांव वालों के पास घरों में कुल्हाड़ी रखी रहती है। यह स्वीकार किया है कि साक्षी द्वारा समस्त कागजात में रेंज आफिस में हस्ताक्षर किए गए थे। यह स्वीकार किया है कि दस्तावेजों को स्वयं पढ़कर नहीं देखा था ना ही पढ़कर सुनाया गया था। भंवरसिंह ने स्वीकार किया था कि उसने चीतल मारा है।

11. बंशीलाल (अ.सा.4) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.09.2002 को वन विभाग में भैंसानघाट में चौकीदारी का काम करता था। दिन में दोपहर के समय वन अधिकारी के साथ जीतन, धीरज, धन्नू के साथ ग्राम कदला में गश्ती



कर रहे थे। वन ग्राम में आरोपी के घर गए थे। भंवरसिंह की सूचना मुखबिर से मिलने के कारण भंवर के घर की तलाशी वन अधिकारी द्वारा ली गई थी। भंवर के घर से करीब 100 ग्राम चीतल का मांस, कटाफटा चमड़ा चीतल का, कुल्हाड़ी मिली थी, मौके पर जप्ती कार्यवाही की थी। जप्ती पत्र प्र.पी. 2 पर ब से ब भाग पर हस्ताक्षर है। वन अधिकारी ने पूछताछ की थी तब भंवर ने बताया था कि उसने पायजन डालकर चीतल मारा है, वन अधिकारी का मौके का पंचनामा प्र.पी. 8 है जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है। वन अधिकारी को भंवरसिंह और जीतन ने बयान साक्षी के समक्ष दिए थे, जो प्र.पी. 3, प्र.पी. 4 है।

12. सूचक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि भंवरसिंह ने बताया था कि ग्राम कदला का चैतराम भंवर के पास आया था और कहा था कि उसके पास जहर है, जहर डालकर जंगली जानवर मारेगें। चैतराम ने महुआ के लाहन में जहर मिलाकर लाया था जिसे खेत के पास फैला दिया था। यह स्वीकार किया है कि दिनांक 16.09.02 को सुबह एक चीतल मरा पड़ा था जिसे उन्होंने काटकर मांस का बंटवारा किया था। साक्षी को ध्यान नहीं है कि सींग की जप्ती बनाई थी या नहीं। प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने के की बात अपने बयान में बताई थी, नहीं लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि भंवर सिंह के घर जाने के पूर्व अपनी तलाशी नहीं कराई थी। सरपंच, मुकद्दम, कोटवार को नहीं बुलाया था। शेष सुझावों को इंकार किया है।

13. नेहरू सिंह (अ.सा.5) वनरक्षक ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.09.2002 को कदला बीट भैंसानघाट वन परिक्षेत्र में वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। सामुहिक गश्ती के दौरान भंवरसिंह के पास 100 ग्राम चीतल का मांस, 1 सींग, 2 कुल्हाड़ी का प्र.पी. 2 का जप्तीपत्र साक्षी द्वारा तैयार किया था। साथ में चीतल का चमड़ा जप्त किया था। प्र.पी. 2 के अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्र.पी. 12 का पी.ओ.आर. जारी किया था। पंचनामा स्टाफ के द्वारा तैयार किया गया था। मौके का पंचनामा डिप्टी साहब ने बनाया था। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जो पी.ओ.आर. प्र.पी. 1 का बनाया था उसमें अधिकारी को देने की सूचना नहीं है। इसी पद में कथन किया

है कि चीतल के चमड़े की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का उल्लेख नहीं किया है। हीरापुर 50 घर की बस्ती है। मुलजिम का घर गांव के बाहर है।

14. हरेसिंह मरावी (अ.सा.6) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि भंवरसिंह से साक्षी के समक्ष 100 ग्राम चीतल का मांस, चीतल का चमड़ा, 2 कुल्हाड़ी जप्त की थी। मौके का पंचनामा प्र.पी. 8 बनाया था जिसके द से द भाग पर हस्ताक्षर है। साक्षी का कोई बयान नहीं हुआ था। सूचक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि प्र.पी. 10 का बयान अपने वरिष्ठ अधिकारी को दिया दिया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में स्वीकार किया है कि जब भी कोई जप्ती होती है तो वहाँ उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। स्वतः कहा कि उसने जप्तीनामा में हस्ताक्षर नहीं किए थे।

15. नैनसिंह धुमकेती (अ.सा.8) ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 17.09.2002 में भैंसानघाट रेंज में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। आरोपी भंवरसिंह को जानता है। घटना के समय आरोपी के घर ग्राम हीरापुर साक्षी गया था। उसके घर से 100 ग्राम मांस, 01 नग चमड़ा, सींग, 02 नग कुल्हाड़ी मिली थी। आरोपी ने मांस, सींग, चमड़ा चीतल का होना बताया था, कुल्हाड़ी से चीतल को मारना बताया था। मौका पंचनामा प्र.पी. 8 साक्षी के समक्ष बनाया गया था जिस पर इ से इ भाग पर हस्ताक्षर है।

16. डॉ. सदीप अग्रवाल (अ.सा.7) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 22.09.2002 को कार्यालय क्षेत्र संचालक कान्हा टाईगर रिजर्व में पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 23.09.2002 को त्वचा एवं बाल परीक्षण हेतु भेजा गया था, का परीक्षण साक्षी द्वारा किए जाने पर साक्षी ने पाया कि त्वचा के साथ जो बाल लगे हुए हैं वे वन्य प्राणी चीतल के थे। उक्त बालों को पहले से तैयार किए गए स्टैंडर्ड हेयर सैंपल की स्लाइड से मिलान किया था, दोनों में समानता पायी गई जिसके आधार पर साक्षी ने परीक्षण प्रतिवेदन में बाल चीतल के पाए गए, लेख किया है, परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 13 के अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। उक्त साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण में खंडन नहीं है।

17. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। अपीलार्थी की ओर से श्री विजय गुप्ता अधिवक्ता द्वारा इस आशय का संक्षिप्त निवेदन किया है कि अभियोजन के साक्षियों के मौखिक कथन के आधार पर

अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। अभिलेख पर वैज्ञानिक साक्ष्य का अभाव है कि कथित 100 ग्राम मांस कच्चा था या पका था, की साक्ष्य नहीं है। उस 100 ग्राम मांस का परीक्षण चिकित्सक से नहीं कराया है, उस 100 ग्राम मांस को नष्ट किए जाने के लिए न्यायालय से अनुमति नहीं ली है। इस प्रकार 100 ग्राम मांस की जप्ती केवल कागजी जप्ती है, वास्तविक जप्ती नहीं है। यदि वास्तविक जप्ती होती तो पुलिस अधिकारी मांस का परीक्षण कराते और नष्ट करने की अनुमति न्यायालय से लेते।

18. श्री विजय गुप्ता अधिवक्ता ने यह भी तर्क कर निवेदन किया कि वन विभाग ने कथित रूप से अपीलार्थी भंवरसिंह के पास से कागजी जप्ती संपत्ति की बनाई है। इस कागजी जप्ती की संपत्ति कुल्हाड़ी का रासायनिक परीक्षण रासायनिक वैज्ञानिक से नहीं कराया है ताकि उस कुल्हाड़ी वन्य प्राणी का रक्त था या नहीं यह सिद्ध हो पाता। श्री विजय गुप्ता अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि कथित चमड़ा सीलबंद किए जाने की साक्ष्य नहीं है। जप्ती दिनांक के पश्चात् उसे कहीं संभालकर रखा गया था, के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। इस साक्ष्य का अभाव है कि वन विभाग के किस कर्मचारी के हाथ किस दिनांक को संपत्ति डॉ. संदीप अग्रवाल (अ.सा.7) के चिकित्सालय/कार्यालय में परीक्षण हेतु भेजी गई थी तथा संपत्ति परिदत्त कर पावती प्राप्त की गई थी। ऐसी पावती अभिलेख पर पेश नहीं है।

19. श्री विजय गुप्ता अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि कथित चीतल का चमड़ा जो मिलान किया गया है वह वन परिक्षेत्र कार्यालय कदला-भैंसानघाट-हीरापुर को लौटाया गया है। अभिलेख पर यह नितांत अभाव है कि वह चमड़ा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और उसे साक्ष्य के दौरान आर्टिकल 1 या अन्य अंक देकर चिन्हित कर प्रमाणित किया गया है। श्री आर.पी. सिंह अधिवक्ता ने तर्क कर यह भी निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कुल्हाड़ी पेश नहीं है, चमड़ा पेश नहीं है, सींग पेश नहीं है, जप्त मांस की परीक्षण रिपोर्ट पेश नहीं है, उसे नष्ट करने का सक्षम अधिकारी का पंचनामा नहीं है। इन सभी कानूनी त्रुटियों के कारण अपीलार्थी के विरुद्ध विद्वान विचारण न्यायालय ने संदेह से परे मामले को प्रमाणित मानकर तथ्य की

त्रुटि की है, साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि की है, विधिक त्रुटि की है। विधिक लाभ दिए जाने की याचना की है।

20. राज्य की ओर से श्री डी.पी. बिसेन ए.पी.पी. ने तर्क कर निवेदन किया कि विद्वान विचारण ने अभिलेख पर आयी साक्ष्य का सही मूल्यांकन किया है, अपीलार्थी ने धीरज (अ.सा.2), धन्नूलाल (अ.सा.3), बंशीलाल (अ.सा.4), नेहरू (अ.सा.5) के सामने अपराध कुबूल किया है। जो न्यायिकेतर संस्वीकृति की श्रेणी में है, इसलिए दण्डादेश की पुष्टि की जावे।

21. अपीलार्थी की ओर से श्री विजय गुप्ता अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के तर्क का उत्तर देते हुए निवेदन किया कि श्री डी.पी. बिसेन ए.पी.पी. ने एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल कन्फेशन को गलत ढंग से न्यायालय के समक्ष रखा है। श्री विजय गुप्ता अधिवक्ता ने निवेदन किया कि धीरज (अ.सा.2), धन्नूलाल (अ.सा.3), बंशीलाल (अ.सा.4), नेहरू (अ.सा.5) ने अपराध स्वीकार करने की बात विभाग के साक्षी होने से तथा उन्हें वन विभाग में निरंतर मजदूरी मिलने से कथन किया है। कथित अपराध स्वीकृति लेख करने वाले अधिकारी के कथन न्यायालय के समक्ष नहीं कराए गए हैं। जिससे यह अभिलेख पर दर्शित नहीं होता कि कथित स्वीकारोक्ति का लेख कथन सही है। उस दस्तावेज को विधि अनुसार प्रमाणित नहीं कराया गया है।

22. उभयपक्षों द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया।

23. अपीलार्थी की ओर से किया गया यह तर्क कि अपीलार्थी से जप्त चमड़ा डॉ. संदीप अग्रवाल, अ.सा. 7 के पास भेजा गया था कि कड़ी/निरंतरता अभिलेख पर प्रमाणित नहीं है और उसी चमड़े को किस व्यक्ति द्वारा अपनी अभिरक्षा में लिया जाकर डॉ. संदीप अग्रवाल अ.सा. 7 को सौंपा गया था और उसी प्राप्त संपत्ति का परीक्षण डॉ. संदीप अग्रवाल अ.सा. 7 ने किया था, प्रमाणित नहीं है, इसलिए अपीलार्थी संदेह का लाभ प्राप्त करने विधि के अनुसार अधिकारी है।

24. अतः अपीलार्थी भंवरसिंह को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डाज्ञा दिनांक 30.10.2015 को अपास्त करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।



25. अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष रसीद क्रमांक 23103/61 दिनांक 20.11.2015 से अर्थदण्ड स्वरूप 2,000/-रुपए जमा है जो अपील अवधि पश्चात् अपीलार्थी के खाते में ई-भुगतान कर लौटाए जावे। इस निर्णय की अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।
26. मामले में जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में विद्वान विचारण के निर्णय के पद क्रमांक 29 में लेख है कि प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पेश नहीं। इसलिए परिवादी वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला जिला बालाघाट की ओर सूचना भेजी जावे कि आपके कार्यालय के पी.ओ.आर. नंबर 26/04 दिनांक 17.09.2002 में जप्त संपत्ति कुल्हाड़ी 02 नग, चीतल का चमड़ा जिसका कोई नाप नहीं है, चीतल का 01 सींग को वन विभाग के नियमानुसार नष्ट किया जावे।
27. निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर पंजी में परिणाम दर्ज करने प्रेषित किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/-

**(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

मेरे डिक्टेसन पर टंकित  
किया गया।

सही/-

**(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर